न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड RAS

प्रार्थना पत्र संख्या :– 15/2018 दायर तारीख :– 25.01.018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

—— प्रार्थी

बनाम

1. तेजूलाल पुत्र श्योनाथ
2. गोरधन पुत्र काना
3. लालाराम पुत्र काना
4. दानाराम पुत्र काना
5. मन्नी पत्नि काना
6. रामेश्वर पुत्र अमरा
7. नानूराम पुत्र बालूराम
8. भूरी पुत्री बालूराम
9. रूकमा पुत्री बालूराम
10. राधा पुत्री बालूराम

समस्त जाति कुमावत नि0 कोढी तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

—— अप्रार्थीगण

उपस्थित : राज पेरोकार प्रार्थी
अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पारीक अप्रार्थी सं0 1
अधिवक्ता श्री भंवरलाल वर्मा अप्रार्थी सं0 2 लगा0 7

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ऐ0

निर्णय

निर्णय दिनांक : 9-7-19

1. तहसीलदार कि0रेनवाल ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कोढ़ी की चालू जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता सं0 82 में गोरधन, लालाराम, दानाराम पि0 काना, मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 1/6, रामेश्वर पुत्र अमरा हि0 1/6, नानूराम पुत्र बालू हि0 1/6 के स्थान पर हिस्सा 1/36, 1/36, 1/36 शुद्व करने बाबत् प्रार्थना पत्र व जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें ग्राम कोढ़ी की जमाबन्दी संवत् 2036–39 के खाता सं0 45 में खं0नं0 219, 220, 238, 246 किता 4 रकबा 50 बीघा 8 विस्वा में कालू, अमरा, काना पि0 बिरमा हि0 1/2 दर्ज था परन्तु जमाबन्दी संवत् 2057–60 के खाता सं0 63 में उक्त खसरा नम्बरों में बालू, अमरा, काना पि0 बिरमा हि0 1/2 हो गया। जिससे हिस्सा अशुद्व हो गया उक्त अशुद्व हिस्सें में हिस्सा नामान्तकरण सं0 282 दिनांक 26.01.01 से अमरा पुत्र बिरमा की विरासत से रामेश्वर पुत्र अमरा हि0 1/6 स्वीकार का नोट अंकित है तथा नामान्तकरण सं0 323 दिनांक 16.12.04 से काना पुत्र बिरमा की फौती पर गोरधन, लालाराम, दानाराम पि0 काना, मन्नीदेवी पत्नि काना कुम्हार हि0 1/6 स्वीकार का नोट अंकित है नामान्तकरण सं0 341 दिनांक 25.02.05 से बालू पुत्र बिरमा की फौती पर नानूराम पुत्र बालूराम, भूरी, रूकमा, राधा पुत्रिया बालूराम हि0 1/6 स्वीकार का नोट अंकित है जो जमाबन्दी संवत् 2036–39 के खाता सं0 45 के अनुसार गलत हिस्सें में विरासत स्वीकार हुई है। चालू जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता सं0 82 में गोरधन पुत्र काना हि0

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

1/24 सहित एस0बी0आई0 शाखा जोबनेर दानाराम पुत्र कानाराम
नानूराम पुत्र बालूराम हि0 1/6 सहित आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक
पुत्र अमरा हि0 1/6 लालाराम पुत्र काना, मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 1/
रिकोर्ड में दर्ज है। परन्तु जमाबन्दी संवत् 2036–39 के खाता सं0 45
संवत् 2057–60 के खाता सं0 63 के अनुसार चालू जमाबन्दी संवत्
खाता सं0 82 खं0नं0 246/1 रकबा 17 बीघा 4 बिस्वा में दानाराम
हि0 1/24, नानूराम पुत्र बालूराम हि0 1/6 सहित आई0सी0आई0
शाखा जोबनेर गोरधन पुत्र काना हि0 1/24 सहित एस0बी0आई0
रामेश्वर पुत्र अमरा हि0 1/6 लालाराम पुत्र काना मन्नीदेवी पत्नि काना
अशुद्ध हिस्सों के स्थान पर दानाराम पुत्र कानाराम हि0 1/144 नानूराम
हि0 1/36 सहित आई0सी0आई0सी0आई बैंक शाखा जोबनेर गोरधन पुत्र
1/144 सहित एस0बी0आई0 शाखा जोबनेर रामेश्वर पुत्र अमरा
लालाराम पुत्र काना मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 1/72 की शुद्धि किया जा
है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से
अवधेश कुमार पारीक ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं0 2 की
ओर से वकील श्री भंवरलाल वर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 2
की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रा0पत्र तेजू
श्योनाथ जाति कुमावत अकेले ने पेश किया है जबकि तेजूलाल के
रामकरण पुत्र श्योनाथ के हस्ताक्षर नहीं है। हालाकिं उपरोक्त जमीन पर तेजू
कविले के भाई भूरा पुत्र हीरा व भींवा पुत्र हीरा का कब्जा है। मंगलचन्द
हिस्सा तेजूलाल को विक्रय कर दिया जो करीब 3 बीघा है। उस पर भूरा
भींवा पुत्र हीरा का कब्जा है, प्रार्थी तेजूलाल का कोई कब्जा नहीं है उपरोक्त
से 6 बीघा करीब लालाराम के कब्जें में है एवं करीब 9 बीघा भूमि जोधा पुत्र
के पुत्रान हीरा, मोती, मोहरू, गणेश के कब्जें में है। इन्हीं भूमियों के बारे में
सं0 239/17 व स्थगन प्रा0पत्र 75/17 सक्षम न्यायालय सहायक
सांभरलेक में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त तेजूलाल प्रतिवादी सं0 5 है
वाद दिनांक 22.11.17 को प्रस्तुत होकर कई पेशिया नियत हो चुकी है एवं
पेशी दिनांक 12.03.18 की नियत है एवं उसमें उपरोक्त तेजूलाल ने एवं उक्त
रामकरण ने आजतक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है एवं उपरोक्त प्र
न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर क्रंमाक 983/83
24.11.17 के अन्तर्गत स्थगन प्राप्त है एंव वादग्रस्त भूमि एस0बी0आई शाखा
के यहा रहन रखी हुई है जिनको इस प्रा0पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं कि
है इस कारण भी यह प्रा0पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। तेजूलाल के प्रा0पत्र पर क्रम
सहखातेदारान के भी हस्ताक्षर है जिनके नाम छिगनाराम, गोपाललाल, सु
नानूराम, मांगूराम, मोहनलाल व भागीरथ है उसमें से दिनांक 02.07.1995 को
बंटवारा हुआ था उसमें क्रमशः गुमानराम, छिगनाराम एवं गोपाललाल
हस्ताक्षर अंकित है एवं नोलाराम के पुत्र लालाराम के भी हस्ताक्षर है एवं लाला
भाई गोपी के पुत्रान मोहन व भागीरथ पुत्रान गोपीराम ने सुखाराम के
प्रा0पत्र पर हस्ताक्षर किये है जबकि उसके चाचा लालाराम के बहामी बंटवार
दिनांक 02.07.95 पर हस्ताक्षर अंकित है उक्त बाहमी बंटवारे की छाया प्रति
है। रिपोर्ट तहसीलदार कि0रेनवाल ने तैयार की है वो भी उपरोक्त मुकदमें
239/17 व स्थगन प्रा0पत्र सं0 75/17 में तहसीलदार कि0रेनवाल रेस्पोडेन्ट
पक्षकार संयोजित किये हुये है इसके बावजूद तहसीलदार कि0रेनवाल ने अप्रा
की अनुपस्थिति में बिना समुचित सुनवाई यह रिपोर्ट तैयार करके प्राकृतिक न्या
हनन किया है जबकि वो उपरोक्त दोनों मुकदमों में पक्षकार थे एवं न्याय का

3.

4.

Scanned by CamScanner

है कि किसी भी पक्ष की अनुपस्थिति में उसको बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई किये कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती। उपरोक्त भूमि पर मनबट के आधार पर विभाजन दिनांक 02.07.1995 को होने के उपरान्त भूमि अन्य लोग लालाराम, तेजूलाल, हीरा, मोती, मोहरू, गणेश काबिज है अतः हिस्सा गलत दर्ज नहीं है। अप्रार्थीगण मनबट के आधार पर आराजी खं0नं0 219, 220, 238 कुल 25 बीघा भूमि पर कब्जा चला आ रहा है एवं रेकार्डेड खातेदार होने के बावजूद खं0नं0 246/1 रकबा 17 बीघा 4 विस्वा में से तेजूलाल अप्रार्थीयान को जबरन बेदखल करना चाहता है एवं मनबट पर जो बंटवारा हुआ है उसके विपरित आचरण कर रहा है जबकि वो परिवार का सदस्य ही नहीं है उसने 2–3 साल पहले करीब 3 बीघा जमीन खरीद की है। लिहाजा तहसीलदार कि0रेनवाल की जांच रिपोर्ट अस्वीकार है। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि आराजी खं0नं0 246/1 रकबा 17 बीघा 4 विस्वा वाकै ग्राम कोढ़ी तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित होना स्वीकार है। विवादित आराजी में खातेदार बालू, अमरा, काना पि0 बिरमा का जमाबन्दी संवत् 2036 से 2039 में 1/12 हिस्सा सही रूप से दर्ज था परन्तु जब संवत् 2057 से 2060 की जमाबन्दी तैयार की गई तो सहवन से व लिपिकीय त्रुटि से खातेदार बालू, अमरा, काना पि0 बिरमा का हि0 1/12 के स्थान पर 1/2 गलत रूप से दर्ज हो गया। खातेदार बालू, अमरा, व काना के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम गलत रूप से रामेश्वर पुत्र अमरा का 1/6 हिस्सा, गोरधन, लालाराम, दानाराम पि0 काना, मन्नीदेवी पत्नि काना का 1/6 हिस्सा व नानूराम पुत्र बालू का 1/6 हिस्सा दर्ज हो गया जबकि उनका 1/6 हिस्सें के स्थान पर 1/36, 1/36 हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए, पटवार हल्का व तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा जो प्रस्ताव दुरूस्ती के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है सही होने से स्वीकार है व मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार कि0रेनवाल के दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है व स्वीकार किये जाने योग्य है। अप्रार्थी नानूराम, रामेश्वर वगै0 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर जिलाधीश सांभरलेक के यहा वाद सं0 239/17 दायर किया जाना कथन किया गया है उक्त वाद विभाजन आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है उक्त वाद में अप्रार्थी नानूराम वगै0 द्वारा खातेदारान के गलत हिस्सें दर्ज होने के आधार पर ही प्रस्तुत कर दिया गया है तथा वाद में दर्ज हिस्सेनुसार सभी खातेदारान का हिस्सा एक यूनिट में नहीं बैठता है अप्रार्थी नानूराम ने अपने नाम दर्ज गलत हिस्सें के सम्बन्ध में अथवा अपने नाम वर्तमान दर्ज हिस्सें के सम्बन्ध में घोषणा कराये जाने का वाद प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में विभाजन का वाद प्रस्तुत हो मात्र से खातेदारान का हिस्सा दुरूस्त किये जाने की कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती है। अतः तहसीलदार कि0रेनवाल के द्वारा प्रस्तुत दुरूस्ती प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 पेश की है तथा अप्रार्थी सं0 2 लगा0 7 ने अपने जवाब के समर्थन में नकल स्थगन आदेश दिनांक 23.11.17 व 14.05.18 की प्रतिलिपि, नकल सहायक कलक्टर द्वारा तहसीलदार को लिखा गया पत्र दिनांक 24.11.17, नकल भामी बंटवारें की प्रति दिनांक 28.06.95, हिस्सेदारी भूमि का भामी बंटवारे की प्रति दिनांक 02.07.95, तहसीलदार कि0रेनवाल को लिखा गया पत्र दिनांक 02.05.18, नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 29.05.18 की प्रतिया पेश की है।

4. वकील अप्रार्थी सं0 3 लगा0 7 ने न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 (16) 2009 पेज सं0 825, आर0बी0जे0 (16) 2009 पेज सं0 69, आर0आर0डी0 1990 पेज सं0 441, आर0आर0डी0 1992 पेज सं0 304, आर0आर0डी0 1994 पेज सं0 505, आर0आर0डी0 1997 पेज सं0 504, आर0आर0डी0 1997 पेज सं0 100, आर0आर0सी0 1999 पेज सं0 307, आर0आर0टी0 2002(1) पेज सं0 589,

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

डी0एन0जे0 (एस0सी0)1997 पेज सं0 227, आर0आर0डी0 1977 पेज
आर0आर0डी0 1977 पेज सं0 673, आर0आर0डी0 1984 पेज सं0 505, आर
2009(1) पेज सं0 443, आर0आर0टी0 2009(2) पेज सं0 1018, आर
2011–12 पेज सं0 284, आर0आर0टी0 2014(2) पेज सं0 1111 की नजीर
है तथा अप्रार्थी सं0 1 ने न्यायिक दृष्टांक आर0आर0टी0 2018(2) पेज
आर0आर0टी0 2013(2) पेज सं0 1124, आर0आर0टी0 2010(2) पेज सं0 7
पेश की है।

5. अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता
किया कि विवादग्रस्त आराजी में जो अशुद्धि हुयी है वह चौसाला जमाबन्दी
हुयी है संवत् 2036–39 की जमाबन्दी में खं0नं0 246/1 में बालू, अमरा, क
बिरमा का 1/12 हिस्सा था परन्तु लिपिकीय त्रुटि से जमाबन्दी संवत् 2057
उक्त 1/12 हिस्सें के स्थान पर 1/2 हिस्सा सहवन से दर्ज हो गया जि
किया जाना आवश्यक है उक्त प्रकरण तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा
प्रकिया के तहत प्रस्तुत किया गया है इस आधार पर भी उक्त हिस्से
किया जाना आवश्यक है वर्तमान जमाबन्दी में सभी पक्षकारों का दर्ज हिस्से
योग करते है तो सभी पक्षकारान का हिस्सा एक यूनिट न होकर 1.41 यूनिट
जो कि अपने आपमें गलत है कानूनन सभी खातेदारों का हिस्सा मिलाने
यूनिट में हिस्सा होना आवश्यक है साथ ही यह भी कथन किया कि अप्रा
लगा0 10 की ओर से जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह मात्र विभाजन के
वाद प्रस्तुत किया गया है तथा विचाराधीन प्रकरण 136 एल0आर0ऐ0 के तह
है जो कि समरी प्रोसेडिंग की श्रेणी में आती है जब तक पक्षकारान के हि
रूप से दुरूस्त नहीं हो जाते है तब तक पक्षकारान के मध्य विभाजन किया
उचित नहीं होगा ऐसे में तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीक
जाकर मुताबिक तहसीलदार कि0रेनवाल रिपोर्ट हिस्से दुरूस्त किया जाना
है। अप्रार्थी सं0 2 लगा0 7 की ओर से कथन किया गया है कि त
कि0रेनवाल द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है वह अप्रार्थी को बिना सुने
है तथा यदि पक्षकारान के हिस्से गलत दर्ज है तो पक्षकारान घोषणा का वा
कर ही हिस्से दुरूस्त करवा सकता है अप्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक
सांभरलेक के यहा वाद भी प्रस्तुत कर रखा है ओर उक्त वाद में उपस्थिति
कार्यवाही कानूनन चलने योग्य नहीं है व वाद के निस्तारण तक इस प्र
कार्यवाही स्थगित किये जाने योग्य है।

6. विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर
दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं
न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन कि
पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भली भांति स्पष्ट है कि जो जमाबन्
2036–39 की तैयार की गयी उसमें बालू, अमरा, काना पि0 बिरमा हिस्स
दर्ज है तथा उसके पश्चात् जो जमाबन्दी संवत् 2057–60 तैयार हुयी उ
व्यक्तियों का हिस्सा 1/12 के स्थान पर 1/2 दर्ज हो गया एवं तत्पश्चात्
में जो नामान्तकरण तस्दीक हुये वे 1/2 के अनुसार ही दर्ज होते गये चू
हिस्सा बिना किसी न्यायालय के आदेश के दर्ज हुये है जो कि एक लिपि
की श्रेणी में आते है जिन्हें दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जहा तक
आराजी के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन होने का कथन है उक्त वाद मात्र वि
सम्बन्ध में है तथा जब तक पक्षकारान का हिस्सा दुरूस्त नहीं हो जाता है
कानूनन विभाजन होना भी असंम्भव है ऐसी स्थिति में तहसीलदार कि0रे
द्वारा जो प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाना न्यायो
जाता है।

Scanned by CamScanner

निर्णय

प्रार्थना पत्र 136 ले0रे0ऐ0 तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा अपवादित खाता के रूप में रिकोर्डेड खातेदारों के हिस्सें में शुद्वि हेतु पेश किया गया है। राजस्व रिकोर्ड से स्पष्ट है कि हिस्सों में दुरूस्ती न्यायोचित है क्योकिं राजस्व रिकोर्ड में खातेदारों के गलत हिस्सें चौशाला जमाबन्दी तैयार करने के दौरान सहवन से दर्ज हुए है अतः उक्त प्रा0पत्र भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का स्वीकार किया जाकर आराजी खं0नं0 246/1 रकबा 17 बीघा 4 विस्वा वाकै ग्राम कोढ़ी तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में दानाराम पुत्र कानाराम हि0 1/24, नानूराम पुत्र बालूराम हि0 1/6 राहिन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा जोबनेर गोरधन पुत्र काना हि0 1/24 राहिन एस0बी0आई0 शाखा जोबनेर रामेश्वर पुत्र अमरा हि0 1/6 लालाराम पुत्र काना मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 1/12 अशुद्व हिस्सें के स्थान पर दानाराम पुत्र कानाराम हि0 1/144 नानूराम पुत्र बालूराम हि0 1/36 राहिन आई0सी0आई0सी0आई बैंक शाखा जोबनेर गोरधन पुत्र काना हि0 1/144 राहिन एस0बी0आई0 शाखा जोबनेर रामेश्वर पुत्र अमरा हि0 1/36 लालाराम पुत्र काना मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 1/72 शुद्व किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार कि0रेनवाल को उक्त निर्णय की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9-7-19 **को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner